राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्
संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार
NCSM
NATIONAL COUNCIL OF SCIENCE MUSEUMS
Ministry of Culture, Govt. of India

संदर्भ संख्या: आइ-18015/3(आरटीआई)
दिनांक: 11.09.2019

2310
2311

सेवा में,
श्री मंतोष कुमार
सचिव, होप ऑफ डेस्टिनेशन संस्था व शोधार्थी
डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय पुरुष छात्रावास
ब्लॉक 1, कमरा संख्या-203
मोहन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) - 226017
मो. 9012578768

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के संदर्भ में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 31.07.2019, ज्यो कि हमें संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के ईमेल द्वारा दिनांक 14.08.2019 को प्राप्त हुई, संदर्भ में आवश्यक जानकारी नीचे दिया गया है।

1. प्रश्न - वर्तमान तिथि तक भारत सरकार के विभिन्न निकायों में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों को भरने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए पदों की सम्पूर्ण सूची अभ्यर्थियों के नाम, दिव्यांगता का प्रकार, प्रतिशत, पद नाम व विभाग के साथ प्रदान करें।

   उत्तर - वर्तमान में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, केंद्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र और इसके अधीन इकाईयों में कुल 03 लोग दिव्यांगजन के पद पर कार्यरत हैं, जो निम्नलिखित हैं :

1. **श्रीमति मीनाक्षी दत्ता, तकनीशियन, 'बी', केंद्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, विकलांग-40%, (दृष्टि बाधा)**
2. **श्री सिद्देश डी.सी, प्रदर्शनी सहायक 'ए' केंद्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, विकलांग-70% (भाषण और श्रवण बाधा)**
3. **श्री सुसांत कुमार डकुआ, अवर श्रेणी लिपिक, आंचलिक विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर, विकलांग-50% (श्रवण बाधा)**

2. प्रश्न - वर्तमान तिथि तक भारत सरकार के विभिन्न निकायों के अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत भरे गए कुल पदों में पूर्ण दृष्टिदिव्यांग व अल्प दृष्टिदिव्यांग अभ्यर्थियों का नाम उनके दृष्टिदिव्यांगता का प्रतिशत, पद नाम, विभाग व श्रेणी सहित सम्पूर्ण विवरण सभी अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रती के साथ प्रदान करें।

   उत्तर - सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 8(i) (j) के तहत किसी तीसरे व्यक्ति को सर्टिफिकेट की विवरण प्रदान नहीं किया जा सकता है।

3. प्रश्न - वर्तमान तिथि तक विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों को आरक्षित पदों पर नियुक्ति दिलाने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए पदों की सम्पूर्ण सूची अभ्यर्थियों के नाम दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत, पद नाम व विभाग के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रदान करें।

   उत्तर - कुछ नहीं

4. प्रश्न - वर्तमान तिथि तक विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों को आरक्षित पदों पर नियुक्ति दिलाने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए कुल पदों में पूर्ण दृष्टिदिव्यांग व अल्प दृष्टिदिव्यांग अभ्यर्थियों के नाम उनके दृष्टिदिव्यांगता का प्रतिशत, पद नाम, विभाग व श्रेणी सहित सम्पूर्ण विवरण सभी अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रती के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रदान करें।

उत्तर - इस प्रश्न का उत्तर पहले से ही प्रश्न संख्या 1 के उत्तर मे दिया जा चुका है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 8(i) (j) के तहत सर्टिफिकेट का विवरण नहीं दिया जा सकता है।

5. प्रश्न - भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में दिव्यांगजनों की एकल पहचान हेतु स्वावलम्बन कार्ड (UDID) की व्यवस्था आरंभ की गयी, इस सन्दर्भ में वर्तमान तिथि तक प्रत्येक राज्यवार जारी किए गए स्वावलम्बन कार्ड (UDID) की सम्पूर्ण सूची प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

6. प्रश्न - भारत सरकार द्वारा स्वावलम्बन कार्ड (UDID) को पूरे देश में एक समान रूप से मान्य बनाने के उद्देश्य से वर्तमान तिथि तक की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेज़ प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

7. प्रश्न - भारत सरकार द्वारा सन 2008 में दिव्यांगजनों हेतु सामान अवसर व सम्पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी संधि पत्र (UNCRPD) को हस्ताक्षरित व अनुमोदित किया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि उपरोक्त संधिपत्र को अनुमोदित करने वाला प्रत्येक राष्ट्र 3 वर्ष के अंतराल पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा उपरोक्त विषयक गठित आर.पी.डी समिति के समक्ष अपनी प्रगति आख्या प्रस्तुत करेगा। इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर.पी.डी समिति के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रगति आख्या की प्रतिलिपि प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

8. प्रश्न - भारत सरकार द्वारा वर्तमान तिथि तक कौशल विकास योजना के अंतर्गत दृष्टिदिव्यांगजनो को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करने सम्बन्धी ऐसे सभी केंद्रों का नाम, प्रत्येक वर्ष के अनुसार प्रत्येक केंद्र को उपलब्ध कराई गई राशि, प्रत्येक केन्द्रवार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण उनके दृष्टिदिव्यांगता प्रमाणपत्र की छायाप्रती के साथ प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

9. प्रश्न - भारत सरकार द्वारा वर्तमान तिथि तक सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु यातायात सुगम्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी कार्यवाही सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

10. प्रश्न - नेशनल हैंडीकैप्ड फ़ाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा वर्तमान तिथि तक दिव्यांगजनों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से प्रदान किए गए ऋण सुविधा सम्बन्धी दस्तावेज़ जिसमे कि लाभार्थी का नाम, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र व विकलांगता का विवरण शामिल हो, की छायाप्रती प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

11. प्रश्न - नेशनल हैंडीकैप्ड फ़ाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा वर्तमान समय में दिव्यांगजनों को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण तथा उसका लाभ प्राप्त करने सम्बन्धी नियमावली की प्रतिलिपि प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

12. प्रश्न - नेशनल हैंडीकैप्ड फ़ाइनेंस एंड डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को नेशनल फण्ड व ट्रस्ट फण्ड के माध्यम से छात्रवृती की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। इस सन्दर्भ में सूचना प्रदान करें कि उपरोक्त योजना को समाप्त करने के पीछे क्या कारण था, साथ ही योजना को समाप्त कराते समय ऐसे छात्र जिनकी गत वर्ष व वर्तमान वर्ष की छात्रवृत्ति आवेदन करने के पश्चात भी नहीं प्राप्त की जा सकी ऐसे छात्रों का सम्पूर्ण विवरण कारण सहित प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

13. प्रश्न - दिनांक 8 फरवरी 2019 को विभाग की सचिव महोदया की अध्यक्षता में भारतीय दृष्टिबाधित संयुक्त संघ के प्रतिनिधिमंडल व सम्बन्धित पदाधिकारियों की समूहिक बैठक संपन्न कराई गयी जिसके कार्यवृत भी तैयार कराये गए थे। इस सन्दर्भ में उपरोक्त कार्यवृत्त के आधार पर मंत्रालय द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न राज्यसरकारों से प्राप्त आख्या जो कार्यवृत्त के आधार पर मांगी गयी थी, की छायाप्रती प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

14. प्रश्न - वर्तमान समय तक भारत सरकार द्वारा दृष्टिदिव्यांगजनो हेतु ब्रेल लिपि में पुस्तक तैयार करने के उद्देश्य से लगाए गए सभी ब्रेल प्रेसों का विवरण, संबन्धित संस्थान का नाम ब्रेल प्रेस हेतु प्रदान की गयी राशि व स्थापित ब्रेल प्रेस के पते सहित प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

15. प्रश्न - कृपया सूचना प्रदान करें कि दृष्टिदिव्यांगजनो हेतु पदों को चिन्हांकित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय तक कुल कितनी समितियां गठित की जा चुकी हैं। प्रत्येक समिति का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करने के साथ साथ अंतिम चिन्हांकित पदों की प्रतिलिपि प्रदान करें।

उत्तर - राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

उपर्युक्त दिये गए जानकारी से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपना निवेदन पेश कर सकते है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पता निम्नरूप है :-

श्री चंद्रकांत दास
सचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद
ब्लॉक-जी एन, सेक्टर-V, बिधान नगर
कोलकाता -700 091

धन्यवाद,

भवदीय,
हस्ताक्षरित
(षष्टी घोषाल)
नियंत्रक (प्रशासन) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रति:
श्री एस.सी.मंडल,
अवर सचिव (एम-II) : कृपया सूचनार्थ के लिए
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली -110 001

षष्ठी घोषाल
नियंत्रक (प्रशासन) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद
3 ब्लॉक-जी एन सैक्टर-5, बिधान नगर
कोलकाता-700091
कार्यालय प्रति
सलग्न ~~हाँ~~ / नहीं
दिनाक 11/3/19
हस्ताक्षर